न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 15 / 2025
प्रविष्टि दिनांक — 17.03.2025
जीसीएमएस नं0 — 77–78 / 2025

1.रतन उर्फ रत्तिराम पुत्र दुर्गालाल जाति बैरवा निवासी सिरोही तह. देवली जिला टोंक

2–दयाल उर्फ दयाराम पुत्र नन्दलाल जाति बैरवा निवासी सिरोही तह. देवली जिला टोंक

.....अपीलांटस

बनाम

नायब तहसीलदार देवली, जिला टोंक राज0

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार देवली दिनांक 29.11.2024 प्रकरण सं. 625 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन व श्री पर्युष जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 05.12.25

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवली ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2024 के द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 526 रकबा 1.050 हेक्टैयर किस्म बारानी 2 राजकीय सिवायचक भूमि वाके ग्राम सिरोही तह. देवली पर फार्मपौण्ड बनाकर व तारबंदी कर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांट को भूमि से बेदखल करने, निर्धारित लगान 8.40 रू. का 50 गुणा जुर्माना कुल 420 रू. जमा कराने तथा फसल नीलाम करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार देवली के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर अभिभाषक अपीलान्टस एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर मूल अपील में उभयपक्ष को सुना गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। आराजी खसरा नं. 526 की साबिक भूमि खसरा नं. 528, 529, 648 ग्राम सिरोही बाबत अपीलान्टस के पिता नन्दा, दुर्गा के विरूद्ध सन् 1975 में प्रकरण सं. 480/1975 में बेदखली की कार्यवाही की थी जिसमें तहसीलदार देवली द्वारा दिनांक 04.08.1977 को निर्णय पारित किया गया था, उस निर्णय में उनको उक्त भूमि पर लम्बे पुराने कब्जे, भूमिहीन, गरीब, कृषक होने से बाद जांच यह निर्णय पारित कर दिया था कि राज्य सरकर के परिपत्र के अनुसार इस भूमि को आवंटन/नियमन के लिये प्रकरण बनाकर आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे, आदेश की पालना की जावे, इस के लिये आज तक कोई पालना नहीं की गयी है।

उक्त निर्णय कार्यालय तहसीलदार, देवली में मौजूद है, अपीलान्टस भूमिहीन, गरीब, काश्तकार है, उक्त भूमि पर लगातार 70–80 साल से आज तक काबिज चले आ रहे है, पहले इनका पिता काबिज था, जिसने काफी मेहनत व धन लगाकर इस भूमि को काश्त योग्य बनाया है, यह भूमि इनके परिवार के पालन–पोषण का साधन है, इनको बेदखल करने का समय निकल चुका है। यह लगातार पुराने कब्जे के आधार पर अपीलान्टस को नियमन करने योग्य है।

अपीलान्टस सदभावी कृषक है, इन्होंने नया कोई अतिक्रमण नहीं किया है, पूर्व में 50–55 साल पहले ही प्रकरण नियमन/आवंटन हेतु आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश कब्जा मानकर दी जा चुकी है तथा कभी विधिक प्रक्रिया के तहत बेदखल नहीं किया है, उक्त अपीलधीन निर्णय गलत है तथा चलने योग्य नहीं है। दिनांक 29.11.2024 को अपीलान्टस के खाली आर्डर शीट पर उपस्थिति के लिये हस्ताक्षर करवा लिये तथा यह बता दिया था कि अग्रित कार्यवाही की सूचना भेज दी जायेगी, अपीलान्टस को जवाब देने, दस्तावेज पेश करने का अवसर नहीं दिया गया, बाद में आदेशिका पर लिख दिया कि निर्णय पृथक से लिखा गया, उक्त निर्णय की साईक्लोस्टाईल छपे–छपाये फार्म पर रिक्त स्थानों की पूर्ति भरकर पारित किया है जो चलने योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 29.11.2024 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्टस को उक्त भूमि आवंटन/नियमन हेतु प्रकरण बनाकर आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व आदेश की पालना हेतु तहसीलदार देवली को निर्देश दिया जावें।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांटस की प्रोपर तामिल हुई थी। अपीलांटस स्वयं या उसकी ओर से कोई व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि अतिकमी ने अवैध रूप से राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 526 कुल रकबा 1.050 हैक्टेयर में फार्म पौण्ड बनाकर व तारबन्दी कर कब्जा कर रखा है। अतिक्रमी सरकारी भूमि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पर अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का अतिक्रमी होना सिद्ध है। राजकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया था परन्तु अपीलान्ट स्वयं या उसकी ओर से कोई प्रतिनिधि अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि अतिक्रमी ने अवैध रूप से राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 526 कुल रकबा 1.050 हैक्टेयर पर फार्म पौण्ड बनाकर व तारबन्दी कर कब्जा कर रखा है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का अतिक्रमी होना सिद्ध है।

अपीलान्टस का कथन हैं कि उक्त भूमि पर अपीलान्टस अपने पिता नन्दा, दुर्गा के समय से ही लगभग 70–80 साल पहले से काबिज चले आ रहे है व पुराना कब्जा चला आ रहा है परन्तु अपने पुराने कब्जे की पुष्टि में अपीलान्टस ने कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए है। अपीलान्टस ने यह भी कथन किया हैं कि सन् 1975 में प्रकरण संख्या 480/1975 में बेदखली की कार्यवाही में इस भूमि को आवंटन/नियमन की सिफारिश की गई थी परन्तु इस निर्णय से संबंधित भी कोई प्रमाणित प्रतियां पेश नहीं की गई है। यदि आवंटन/नियमन की सिफारिश की गई थी तो अपीलांटस को तत्समय ही इस आदेश की पालना करवाने के लिये सक्षम कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त भूमि को नियमन करवाने हेतु चाराजोही करनी चाहिए थी। राजकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना नितान्त आवश्यक है। नायब तहसीलदार देवली द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2024 सही है एवं इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 29.11.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सीकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक